न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 261 / 2021

प्रार्थीगण :– रमेश कुमार पुत्र मिश्राराम जाति भील निवासी बालोतरा
तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)

बनाम

विप्रार्थी :– पेमाराम पुत्र खेताराम जाति भील निवासी मोडाऊ तहसील पचपदरा, जिला
बाडमेर (राज)

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रार्थीगण करणसिंह सोलकी

दिनांक :–27.12.2021

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है, कि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी खेत की भूमि के बदिशा उतर में कटाण रास्ता खसरा नंबर 1149 / 581 मौजा मोडाऊ में आया हुआ है, इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी खेत खसरा नंबर 1222 / 584 मौजा मोडाऊ से कटाण मार्ग खसरा नंबर 1149 / 581 मौजा मडाऊ की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1110 / 583 मौजा मोडाऊ में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये गये हिस्से ए से बी बरंग लाल, अनुसार रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार पचपदरा से मौके की स्थिति की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गयी तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व / 2020 / 2024 दिनांक 30.11.2021 से पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा मोडाऊ के खेत खसरा न0 1222 / 584 जो प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि है जिसमे आवागमन हेतु प्रार्थी द्वारा खसरा न0 1110 / 583 में से चाही जाने पर उक्त खसरे में से प्रस्तावित की है जो अधिक निकट एवं उपयुक्त है। जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि नहीं है। जिसका रकबा 0–06 बीघा भूमि बनती है । जिसकी वर्तमान डी[illegible] 750/– रूपये प्रति बीघा है। मौके पर 30 फीट के रास्ते हेतु कुल रकबा 0–06 भूमि ब[illegible] है।

प्रार्थी एवं राजकीय पेरोकार को सुना गया, प्रार्थी ने तहसी[illegible] पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 13.11.2021 के अनुसार रास्ता आवाग[illegible] के लिए प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने के लिए निवेदन किया गया तथा पेरोकार सरकार ने भी तहसीलदार, पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता प्रार्थी से नियमानुसार डीएलसी रेट की देय दुगनी राशि जमा कराने पर दिया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है। हमनें पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:43:01 IST
Reason: SelfAttested

किया गया । प्रार्थी के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार एवं तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 13.11.2021 के अनुसार खसरा नंबर 1222/ 584 मौजा मोडाऊ के खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नंबर 1110/583 में से 30 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करने हेतु नक्शा मानचित्र पुश्त पर अंकित बरंग लाल के अनुसार अवलोकन किया गया। इसके अलावा प्रार्थी के आवागमन के लिए अन्य कोई विकल्प में रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार, पचपदरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई जिसके अनुसार कटान रास्ता से न्यूनतम दूरी प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु 30 फीट चौडा रास्ता दिये जाने पर रास्ते की भूमि 6 विस्वा होती है। रास्ते की स्थिति रिपोर्ट की पुश्त पर अंकित नजरी मानचित्र में दर्शाए गये अनुसार है। चुंकि प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु चाहा गया है। इस संबंध में सयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06. 2013 के द्वारा राजकीय भूमि में से रास्ते के लिए प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के आवेदन पत्र को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार कर मौजा मोडाऊ खसरा नंबर 1222/584 भूमि में आवागमन करने हेतु विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नंबर 1110/ 583 मौजा मोडाऊ में से 30 फीट चौडा रास्ता सलग्न तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त फर्द मौका दिनांक 13.11.2021 में चिन्हित बरंग लाल, के अनुसार रकबा 0–06 बीघा भूमि रास्ता स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण इस हेतु डी.एल.सी रेट 51750/– प्रति बीघा निर्धारित है, जिसके अनुसार रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबा 0–06 प्रभावित भूमि की राशि 15525 रूपये की नियमानुसार देय दुगनी क्षतिपूर्ति के रूप में राशि रूपये 31050/– रूपये राज्य सरकार के खाते में तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। राशि जमा होने पर ही तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 13.11.2021 में चिन्हित किया गया नक्शा इस निर्णय भाग समझ कर शामिल किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 14:43:01 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 27.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

अधिकारी (S.D.O.)